अशोक मार्केटिंग लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

(Ashoka Marketing Limited

Vs.

State of Bihar and Another)

(30 जनवरी, 1970)

(मुख्य न्यायाधिपति एम० हिदायतुल्लाह, न्या० जे० सी० शाह, के० एस० हेगडे, ए० एन० ग्रोवर, ए० एन० रे और आई० डी० दुआ)

संविधान—सप्तम अनुसूची, सूची 2, प्रविष्टि 54 तथा सूची 3, प्रविष्टि 6, 7 और 13—विस्तार—बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 की धारा 20-क के उपबन्धों के अधीन व्यापारी को वह रकम राज्य को देने के लिए आबद्ध किया जाना जो कि व्यापारी ने क्रेता से संगृहीत की हो किन्तु जो वह विधि के अधीन संगृहीत नहीं कर सकता था—ऐसा उपबन्ध न तो सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अर्थ में माल के विक्रय और क्रय पर कर उद्गृहीत करने की शक्ति का आनुषंगिक उपबन्ध होगा और न ही सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 में अन्तर्विष्ट शक्ति का आनुषंगिक उपबन्ध होगा—ऐसा उपबन्ध राज्य विधानमण्डल के अधिकारातीत होगा और इसलिए अविधिमान्य होगा—तदनुसार बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 की धारा 20-क की उपधारा (3), (4), (5) और (8) अविधिमान्य हैं।

सन् 1956-57 के लिए विक्रय कर का निर्धारण करने के लिए अपीलार्थी का आवर्त अवधारित करने में विक्रय कर अधीक्षक ने अपीलार्थी के विक्रयों में रेल माल भाड़ा की रकम को सम्मिलित कर लिया। अपील प्राधिकारी ने रेल माल भाड़ा को आवर्त में सम्मिलित करने का निदेश देने वाले आदेशों को अपास्त कर दिया। बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 में 1962 के संशोधन अधिनियम 20 द्वारा धारा 20-क के अन्तःस्थापन के पश्चात् सहायक आयुक्त ने अधिनियम की धारा 20-क की उपधारा (3) के अधीन अपीलार्थी को एक सूचना जारी की और उससे इस बात के लिए हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की कि रेल माल भाड़ा पर विक्रय कर की रकम जो कि निर्धारण आदेश के अधीन प्रतीदेय हो गई है समपहृत क्यों न कर ली जाए। अपीलार्थी ने यह दलील दी कि धारा 20-क राज्य

विधानमण्डल के अधिकारातीत है। यह दलील सहायक आयुक्त द्वारा तथा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किए गए रिट पिटीशन में उच्च न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दी गई। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—धारा 20-क की उपधारा (8) मांग अथवा विनियोजन की जो कि धारा 20-क की उपधारा (3), (4) और (5) के अधीन किया जा सकता है वास्तविक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करती। उपधारा (3),(4) और (5) में अन्तर्निहित आशय राज्य को व्यापारी से वह कर संगृहीत करने में समर्थ बनाना है जो कि राज्य उन बहुत कम दशाओं में के सिवाय जिनमें कि क्रेता राज्य को आवेदन कर सकता है और उसका यह समाधान करा सकता है कि वह उसका एक दावा है, और दावा उचित है तथा वह दावा परिसीमा के भीतर है, उद्गृहीत करने और स्वयं के लिए विनियोजित करने का हकदार नहीं है। उपधारा (8) के अन्तःस्थापन के होते हुए भी राज्य द्वारा प्राप्त अथवा राज्य द्वारा विनियोजित रकम संगृहीत किए गए उस कर की प्रकृति की बनी रहती है जिसे संगृहीत करने का राज्य हकदार नहीं होता है।

एक ऐसा उपबन्ध जो कि किसी व्यापारी को कर के संदाय का दायित्व संक्रान्त करने में समर्थ बनाए, विक्रय कर से सम्बन्धित विधान का आनुषंगिक उपबन्ध होता है। किन्तु ऐसा उपबन्ध जिसके अधीन किसी व्यापारी से उस रकम को राज्य को संदत्त करने की अपेक्षा की जाए जो कि उसके द्वारा इस अभिव्यक्त या विवक्षित व्यपदेशन के आधार पर संगृहीत की गई हो कि उसके बराबर रकम उसके द्वारा बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट के अधीन संदेय है, सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अर्थ में 'माल के विक्रय और क्रय पर कर' उद्गृहीत करने की शक्ति का आनुषंगिक उपबन्ध नहीं होगा। तथ्यतः यह उपबन्ध कर के रूप में ऐसी रकम उद्गृहीत करने का उपबन्ध है जिसे उद्गृहीत करने के लिए राज्य अक्षम है। उस रकम को जो कि व्यापारी ने संगृहीत कर ली है और जिसे संगृहीत करने का वह हकदार नहीं था राज्य के पास निक्षिप्त करने के लिए दावे को मांग का रूप देने वाली ऐसी युक्ति को संविधान के उपबन्धों को निष्फल करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 की धारा 20-क की उपधारा (3),(4) और (5) की बाबत विधान बनाने की शक्ति अभिव्यक्त रूप से सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 के अन्तर्गत भी नहीं आती है और न ही यह कहा जा सकता है कि विधान बनाने की शक्ति आवश्यक रूप से सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 में अन्तर्विष्ट शक्ति की आनुषंगिक है। अतः बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा 20-क की उपधारा (3), (4) और (5) राज्य

विधानमण्डल के अधिकारातीत हैं और अविधिमान्य हैं। उसके स्वभाविक परिणामस्वरूप धारा 20-क की उपधारा (6) और (8) भी अविधिमान्य समझी जाएंगी। (पैरा 12, 14, 16 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1964]	(1964) 6 एस० सी० आर० 867 : **आर० अब्दुल कादिर एण्ड कम्पनी** बनाम **विक्रय-कर अधिकारी, हैदराबाद** (R. Abdul Quader & Co. *Vs.* Sales Tax Officer, Hyderabad);	5
[1953]	(1953) एस० सी० आर० 1069 : **मुम्बई राज्य** बनाम **यूनाइटेड मोटर्स (इण्डिया) लिमिटेड** [State of Bombay *Vs.* United Motors (India) Limited].	8

प्रभेदित निर्णय

[1962]	(1962) 1 एस० सी० आर० 549 : **ओरियेण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड** बनाम **उड़ीसा राज्य और अन्य** (The Orient Paper Mills Ltd. *Vs.* The State of Orissa and Others).	4

सिविल अपीली अधिकारिता : 1966 की सिविल अपील संख्या 2004.

1966 के सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 143 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 14 मार्च, 1966 वाले आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर की गई अपील।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एस० वी० गुप्ते, के० के० जैन और एच० के० पुरी।
बिहार राज्य की ओर से	श्री लाल नारायण सिन्हा, महाधिवक्ता
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्री यू० पी० सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति जे० सी० शाह ने दिया।

न्यायाधिपति शाह—

अशोक मार्केटिंग लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'निर्धारिती' कहा गया है) ने बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1947 के अधीन वर्ष 1956-57 के लिए सीमेण्ट और अन्य वस्तुओं के विक्रय से अपने आवर्त के रूप में 2, 46, 67, 517-1-6 रुपये की रकम विवरणी में दर्शित की। विक्रय कर अधीक्षक ने 7, 67, 702-13-0 रुपये की अतिरिक्त रकम पर भी, जो कि निर्धारिती द्वारा प्रदत्त माल की बाबत संदत्त रेल माल भाड़ा थी, कर लगा दिया। तारीख 2 अप्रैल, 1961 वाले आदेश द्वारा अपील प्राधिकारी ने रेल माल भाड़ा को सम्मिलित करने का निदेश देने वाले आदेश को अपास्त कर दिया और यह आदेश दिया कि निर्धारण पुनरीक्षित किया जाए।

2. इस बीच में बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1947 निरसित कर दिया गया और उसके स्थान पर बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 (1959 का 19) अधिनियमित किया गया। सन् 1962 के अधिनियम 20 द्वारा बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 में धारा 20-क अन्तःस्थापित की गई। धारा 20-क के सुसंगत उपबन्ध इस प्रकार हैं—

*"(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी नहीं है किसी व्यक्ति से कोई भी रकम, चाहे किसी भी नाम या वर्णन से उसे व्यक्त किया जाए, माल के विक्रय पर कर के प्रति अथवा जिसका माल के विक्रय पर कर होना तात्पर्यित हो, संगृहीत नहीं करेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी किसी व्यक्ति से ऐसी कोई रकम उस दशा के सिवाय जिसमें तथा उस सीमा तक के सिवाय जिस तक वह इस अधिनियम के अधीन कर देने का जिम्मेदार है, संगृहीत नहीं करेगा।

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"(1) No person who is not a registered dealer shall collect from any person any amount, by whatever name or description it may be called, towards or purporting to be tax on sale of goods.

(2) No registered dealer shall collect from any person any such amount, except in a case in which and to the extent to which such dealer is liable to pay tax under this Act.

(3) (क) किसी विधि या संविदा या किसी अधिकरण, न्यायालय अथवा प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, यदि विहित प्राधिकारी के पास इस बात का विश्वास करने के लिए कारण हों कि किसी व्यापारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अथवा पश्चात् किसी समय उस दशा में और उस सीमा तक ऐसी कोई रकम संगृहीत की है या की थी जिसमें और जिस तक वह ऐसी रकम देने का जिम्मेदार नहीं था या है, तो वह ऐसे व्यापारी पर विहित रीति से सूचना की तामील करेगा जिसमें उस तारीख, समय और स्थान पर जिसे सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, इस बात के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए कि उसे इस प्रकार संगृहीत रकम को सरकारी खजाने में निक्षिप्त क्यों नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की उससे अपेक्षा की जाएगी।

(ख) खण्ड (क) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को अथवा उसके पश्चात् यथासम्भवशीघ्र, विहित प्राधिकारी, व्यापारी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और

---

(3) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law or contract or any judgment, decree or order of any Tribunal, Court or authority, if the prescribed authority has reason to believe that any dealer has or had, at any time, whether before or after the commencement of this Act, collected any such amount, in a case in which or to an extent to which the said dealer was or is not liable to pay such amount, it shall serve on such dealer a notice in the prescribed manner requiring him on a date and at a time and place to be specified therein either to attend in person or through authorised representative to show cause why he should not deposit into the Government treasury the amount so collected by him.

(b) On the day specified in the notice under clause (a) or as soon thereafter as may be, the prescribed authority may, after giving the dealer or his authorised

ऐसे लेखों अथवा अन्य साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात् जो व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से पेश किए जाएं और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह आदेश देगा कि व्यापारी तुरन्त सरकारी खजाने में व्यापारी द्वारा इस प्रकार संगृहीत पाई गई ऐसी रकम जो कि पूर्वोक्त सूचना की प्राप्ति के पूर्व उस व्यक्ति को प्रतिदत्त न की गई हो जिससे कि वह संगृहीत की गई थी, जमा करा दे ।

(4) जहां पर व्यापारी द्वारा इस प्रकार संगृहीत और उसके द्वारा सरकारी खजाने में जमा कराई गई कोई रकम किसी अधिकरण, न्यायालय अथवा प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के परिणामस्वरूप अथवा उसके अनुसरण में व्यापारी को पहले ही प्रतिदत्त कर दी गई हो किन्तु व्यापारी ने वह रकम उस व्यक्ति को प्रतिदत्त न की हो जिससे उसने वह रकम संगृहीत की थी, वहां विहित प्राधिकारी व्यापारी को ऐसे प्रतिदाय के होते हुए भी ऐसी रकम के निक्षेप को प्राप्त करने के लिए उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा ।

---

representative a reasonable opportunity of being heard and examining such accounts and other evidence as may be produced by or on behalf of the dealer and making such further enquiry as it may deem necessary, order that the dealer shall deposit forthwith into the Government treasury, the amount found to have been so collected by the dealer and not refunded prior to the receipt of the notice aforesaid to the person from whom it had been collected.

(4) Where any amount so collected by the dealer and deposited by him into the Government treasury has already been refunded to the dealer in pursuance of or as a result of any judgment, decree or order of any Tribunal, Court or authority, but the dealer has not refunded the amount to the person from whom he had collected it, the prescribed authority shall, notwithstanding such refund to the dealer, proceed to take action in accordance with the provisions of sub-section (3) for securing deposit of such amount.

(5) जहां ऐसी कोई रकम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व व्यापारी को प्रतिदत्त न की गई हो किन्तु किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी ने उस रकम के प्रतिदाय का निदेश दे दिया हो वहां ऐसे निदेश के होते हुए भी उस रकम को उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में किया गया निक्षेप समझा जाएगा।

(6) × × ×

(7) किसी विधि अथवा संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जब कोई रकम व्यापारी द्वारा उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश के अनुपालन में निक्षिप्त कराई गई हो या उपधारा (5) के अधीन इस प्रकार निक्षिप्त कराई गई समझी गई हो तब ऐसा निक्षेप ऐसी रकम की बाबत उस व्यक्ति के प्रति जिससे वह संगृहीत की गई हो, व्यापारी के दायित्व का उचित और पूर्ण निर्वहन होगा।

(8) वह व्यक्ति जिससे व्यापारी ने उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में निक्षिप्त कराई गई

---

(5) Where any such amount has not been refunded to the dealer before the commencement of this Act but a refund has been directed by a Court, Tribunal or authority, the amount shall notwithstanding such direction, be deemed to be a deposit made in pursuance of an order under sub-section (3).

(6) × × ×

(7) Notwithstanding anything to the contrary in any law or contract, when any amount is deposited by a dealer in compliance with an order under sub-section (3) or sub-section (4) or is deemed, under sub-section (5), to have been so deposited, such deposit shall constitute a good and complete discharge of the liability of the dealer in respect of such amount to the person from whom it was collected.

(8) The person from whom the dealer has collected the amount deposited in pursuance of an order under

अथवा उपधारा (5) के अधीन इस प्रकार निक्षिप्त कराई गई समझी गई रकम संगृहीत की हो विहित प्राधिकारी को विहित रीति से उस रकम के उसे प्रतिदाय के लिए आवेदन करने का हकदार होगा और उक्त प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि दावा उचित है तो, प्रतिदाय अनुज्ञात कर देगा :

परन्तु ऐसा कोई प्रतिदाय तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदन उस अवधि के अवसान के पूर्व न किया गया हो जिसके बीच आवेदक उस रकम का व्यापारी से एक सिविल वाद द्वारा उस दशा में दावा कर सकता था जबकि उसके दायित्व का निर्वहन उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार न किया गया होता :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रतिदाय के लिए कोई दावा आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा।"

3. 31 जुलाई, 1963 को वाणिज्यिक-कर-सहायक आयुक्त, शाहबाद हल्का ने बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 की धारा 20-क (3) के अधीन एक सूचना जारी की जिसमें निर्धारिती से इस बात के लिए हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा की गई कि 23, 990-11-0 रुपये की रकम जो कि रेल माल भाड़ा पर विक्रय कर है और जो निर्धारण के आदेश के अधीन प्रतिदेय बन गई है, समपहृत क्यों न कर

---

sub-section (3) or sub-section (4) or deemed, under sub-section (5), to have been so deposited shall be entitled to apply to the prescribed authority in the prescribed manner for refund of the amount to him and the said authority shall allow the refund if it is satisfied that the claim is in order :

Provided that no such refund shall be allowed unless the application is made before the expiry of the period within which the applicant could have claimed the amount from the dealer by a civil suit had his liability not been discharged in accordance with the provisions of sub-section (7) :

Provided further that no claim for such refund shall be rejected without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard."

ली जाए। उत्तर में निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ यह दलील दी कि विहार सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा 20-क राज्य विधानमण्डल के अधिकारातीत है और किसी भी दशा में वह उसके मामले को लागू नहीं होती है। वाणिज्यिक-कर सहायक आयुक्त ने इस दलील को नामंजूर कर दिया और यह निदेश देते हुए आदेश पारित किया कि 23, 990-11-0 रुपये की रकम सरकार को समपहृत होती है और यह निदेश भी दिया कि वह रकम सरकारी खजाने में निक्षिप्त करा दी जाए।

4. तब निर्धारिती ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पटना उच्च न्यायालय के समक्ष वाणिज्यिक-कर सहायक आयुक्त के आदेश को अभिखण्डित करने और उस रकम की वसूली को अवरुद्ध करने वाले पारिणामिक आदेशों के लिए एक पिटीशन फाइल किया। पटना उच्च न्यायालय ने **ओरियेण्ट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य**[1] में इस न्यायालय के निर्णय का अवलम्बन करते हुए पिटीशन नामंजूर कर दिया। विशेष इजाजत लेकर यह अपील की गई है।

5. इस अपील में निम्नलिखित दो प्रश्नों का अवधारण किया जाना है—

(1) क्या विहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 की धारा 20-क अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमण्डल सक्षम था; तथा

(2) क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा अपने घटकों से बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1947 के अधीन विक्रय कर के संदाय को पूरा करने के लिए संगृहीत उस रकम को राज्य सरकार के पास निक्षिप्त कराने का आदेश धारा 20-क के अधीन दिया जा सकता है जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार संदत्त करने के लिए घटक जिम्मेदार नहीं था ?

निर्धारिती के काउन्सेल ने **आर० अब्दुल कादिर एण्ड कम्पनी बनाम विक्रय कर अधिकारी, हैदराबाद**[2] के मामले का अवलम्वन करते हुए यह दलील दी कि राज्य सरकार को किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उस विक्रय कर के संदाय को पूरा करने के लिए जो कर के दायित्व के अधीन नहीं था, किसी क्रेता से संगृहीत रकम वसूल करने के लिए प्राधिकृत करते हुए अधिनियम पारित करना राज्य-विधानमण्डल की सक्षमता के भीतर नहीं है। **अब्दुल कादिर के मामले में** न्यायालय हैदराबाद जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1950 (1950 का 14) की

[1] (1962) 1 एस० सी० आर० 549.

[2] (1964) 6 एस० सी० आर० 867.

धारा 11(2) के निर्वचन के सम्बन्ध में विचार कर रहा था। धारा 11(2) द्वारा यह उपबन्ध किया गया था—

*"किसी अधिकारी या अधिकरण के किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जिसने 1 मई, 1950 को या उससे पूर्व, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संगृहीत करने से अन्यथा, कोई रकम कर के तौर पर संगृहीत की है या करता है, इस प्रकार संगृहीत रकम को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सरकार को दे देगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर उक्त रकम उससे इस प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो।"

इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हैदराबाद जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा 11(2) में कर के तौर पर संगृहीत रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए उपबन्ध किया गया है, यद्यपि वह रकम अधिनियम के अधीन कर के रूप में देय नहीं थी। इस दलील का खण्डन करते हुए कि वह उपबन्ध सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत आता है, न्यायालय ने पृष्ठ 872 पर इस प्रकार सम्प्रेक्षित किया—

"तथापि इस आधार पर इस उपबन्ध को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया गया है कि यद्यपि राज्य सरकार को ऐसी रकम की वसूली के लिए उपबन्ध करने का अधिकार न हो जो कि उस प्रयोजनार्थ बनाई गई विधि में प्रविष्टि 54, सूची 2 के अधीन कर न हो तो भी राज्य सरकार को ऐसे करों के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबन्ध बनाने की आनुषंगिक

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"Notwithstanding anything to the contrary contained in any order of an officer or tribunal or judgment, decree or order of a Court, every person who has collected or collects on or before the 1st May, 1950, any amount by way of tax otherwise than in accordance with the provisions of this Act shall pay over to the Government within such time and in such manner as may be prescribed the amount so collected by him, and in default of such payment the said amount shall be recovered from him as if it were arrears of land revenue."

1970(1) eILR(PAT) SC 1

और सहायक शक्ति के भाग के रूप में, व्यक्तियों द्वारा कर के तौर पर संगृहीत सभी रकमों को, भले ही वे वास्तव में कर के रूप में वसूलीय नहीं हैं, सरकार को देने का उपबन्ध करने का अधिकार प्राप्त होगा।......... किन्तु जहां पर कोई विधान सुसंगत प्रविष्टि के अधीन इस आधार पर अग्रसर होता है कि सम्बद्ध रकम उस प्रविष्टि के अधीन बनाई गई विधि के अधीन वसूलीय कर नहीं है, किन्तु ऐसा होने पर भी यह अधिकथित करता है कि यद्यपि वह विधि के अधीन वसूलीय नहीं है तो भी केवल इस कारण से कि किसी व्यापारी ने भूल से अथवा अन्यथा उसे कर के रूप में वसूल कर लिया है वह सरकार को दे दी जाएगी तो यह समझना कठिन है कि ऐसा उपबन्ध सुसंगत कराधान प्रविष्टि के अधीन बनाई गई विधि के अधीन विधिमान्य रूप से देय कर के संग्रहण का आनुषंगिक और सहायक उपबन्ध किस प्रकार हो सकता है।"

इस उपबंध की विधिमान्यता को शास्ति अधिरोपित करने वाले उपबन्ध के रूप में कायम रखने के प्रयास का भी खण्डन कर दिया गया और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि हैदराबाद जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा 11 (2) अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमण्डल सक्षम नहीं था।

6. **अब्दुल कादिर के मामले में**[1] इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अधीन शक्ति के प्रयोग में राज्य विधानमण्डल ऐसी विधि अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं है जो राज्य सरकार को किसी व्यापारी से यह अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत करे कि वह उस रकम को सरकार को दे दे जो कि उसने किसी विक्रय में माल के क्रेता से उस कर के संदाय को पूरा करने के लिए संगृहीत की हो जिसे वह उस संव्यवहार की बाबत संदत्त करने का जिम्मेदार न हो क्योंकि ऐसी विधि ऐसे कर का उद्ग्रहण प्राधिकृत करती है जिसे उद्गृहीत करने के लिए राज्य विधानमण्डल अक्षम है।

7. बिहार राज्य की ओर से महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि इस मामले में आक्षेपकृत विधान वस्तुत: किसी ऐसी रकम के कर के रूप में उद्ग्रहण या संग्रहण के लिए नहीं है जिसे राज्य उद्गृहीत अथवा संगृहीत करने के लिए सक्षम नहीं है अपितु किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को राज्य की ओर से कर के रूप में संगृहीत रकम राज्य को देने के लिए बाध्य करने के लिए है ताकि वह उस व्यक्ति को लौटाई जा सके जिससे वह विधि-विरुद्धतया वसूल की गई थी। उसने यह दलील दी कि विधान, जो कि उस प्रकृति का नहीं है जिस प्रकृति के विधान का

---

[1] (1964) 6 एस० सी० आर० 867.

अब्दुल कादिर[1] के मामले में निर्वचन करने की इस न्यायालय से अपेक्षा की गई थी, सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत आता है और किसी भी दशा में वह सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 के अन्तर्गत आता है।

8. काउन्सेल ने **ओरिएण्ट पेपर मिल्स**[2] के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अत्यधिक अवलम्बन किया। किन्तु हमारे विचार में उस मामले के सिद्धान्त का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है कि क्या विधि के अधीन राज्य सप्तम् अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अधीन शक्ति के प्रयोग में बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा 20-क अधिनियमित करने के लिए सक्षम था या नहीं। उस मामले में एक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने विक्रय कर की बाबत क्रेताओं से उस कर की पूर्ति के लिए जो उसे उड़ीसा सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1947 के अधीन राज्य सरकार को देना हो यह विश्वास करते हुए कुछ रकमें वसूल कर लीं थीं कि कर संदेय है। व्यापारी का निर्धारण किया गया और उसने आवर्त पर जिसमें अन्तर्राज्यिक विक्रय भी सम्मिलित थे, कर संदत्त कर दिया। **मुम्बई राज्य बनाम युनाइटेड मोटर्स (इण्डिया) लिमिटेड**[3] में इस न्यायालय के विनिश्चय के पश्चात् व्यापारी ने अधिनियम की धारा 14 के अधीन यह अभिवचन करते हुए संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन किया कि अन्तर्राज्यिक विक्रय से होने वाला आवर्त कराधेय नहीं है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा संगृहीत कर की रकम के प्रतिदाय का निदेश देते हुए रिट जारी कर दी। तत्पश्चात् अधिनियम के एक संशोधन द्वारा राज्य विधानमण्डल ने धारा 14-क अन्तःस्थापित की जिसमें यह उपबन्ध किया गया कि कर के प्रतिदाय का दावा केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिससे व्यापारी ने विक्रय कर के रूप में अथवा/अन्यथा वह रकम वसूल की हो। पिटीशन की सुनवाई पर कर दाता ने इस आधार पर उद्ग्रहण को चुनौती दी कि उससे अनुच्छेद 19(1)(च) के अधीन उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है और उसने इस तर्क पर जोर नहीं दिया कि राज्य विधानमण्डल उड़ीसा सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारा 14-क अधिनियमित करने के लिए अक्षम था। इस न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया कि कर की बाबत विधान बनाने की शक्ति के अन्तर्गत कर अधिरोपित करने, कर के संग्रहण के लिए तंत्र विहित करने, वे अधिकारी पदाभिहित करने जिनके द्वारा दायित्व प्रवृत्त कराया जा सके और उन अधिकारियों का प्राधिकार, बाध्यता और

---

[1] (1964) 6 एस० सी० आर० 867.

[2] (1962) 1 एस० सी० आर० 549.

[3] (1953) एस० सी० आर० 1069.

1970(1) eILR(PAT) SC

क्षतिपूर्ति की सीमा विहित करने की शक्ति भी है। इसके पश्चात् इस प्रकार सम्प्रेक्षित किया गया—

"अतः उड़ीसा राज्य का विधानमण्डल अनुचित रूप से अथवा अवैध रूप से संगृहीत कर के प्रतिदाय की मंजूरी के सहायक तथा आनुषंगिक मामलों की बाबत शक्ति का प्रयोग करने के लिए सक्षम था और इस निमित्त विधानमण्डल की क्षमता के बारे में निर्धारिती के काउन्सेल द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है। यदि अनुचित रूप से संगृहीत विक्रय कर के प्रतिदाय की मंजूरी के लिए विधान बनाने की क्षमता को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या यह घोषित करने की शक्ति को अपवर्जित करने के लिए कोई कारण है कि प्रतिदाय का दावा केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जिससे व्यापारी ने विक्रय कर के रूप में अथवा अन्यथा वह रकम वसूल की है ? हमें इस बात के लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता।"

तब न्यायालय ने इस दलील को कि धारा 14-क अविधिमान्य थी क्योंकि उससे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) का उल्लंघन होता है नामंजूर कर दिया। वह मामला इस अभिवचन का समर्थन नहीं करता कि राज्य विधानमण्डल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा वसूल की गई रकमों को जो कि राज्य को विक्रय कर के रूप में देय नहीं है, प्रतिधारित करने अथवा उनका संदाय करने की मांग करने के लिए सक्षम है।

9. विद्वान् महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि किसी भी दशा में आक्षेपकृत उपबंध उस प्रकृति का नहीं है जिसका निर्वचन करने की **अब्दुल कादिर के मामले**[1] में इस न्यायालय से अपेक्षा की गई थी। उसने यह कहा कि जब कि अब्दुल कादिर के मामले में न्यायालय ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें राज्य विधानमण्डल राज्य को किसी व्यापारी द्वारा इस व्यपदेशन के आधार पर कि व्यापारी विक्रय-कर के संदाय को पूरा करने का हकदार है, किन्तु जिसे संदत्त करने का वह जिम्मेदार नहीं था, प्राधिकृत करते हुए विधि अविनियमित की थी, प्रस्तुत मामले में राज्य द्वारा व्यापारी से संगृहीत अथवा प्रतिधारित रकम उस व्यक्ति के फायदे के लिए धारित की जानी है जिससे वह अनुचित रूप से संगृहीत की गई है। महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि विधानमण्डल ने व्यापारी द्वारा विधानमण्डल के प्राधिकार के अधीन संगृहीत ऐसी रकमों का प्रतिदाय आबद्ध करने के लिए, जो कि वह विधि के अनुसार संगृहीत नहीं कर सकता था, तन्त्र स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया था। काउन्सेल ने यह तर्क

[1] (1964) 6 एस० सी० आर० 867.

1970(1) eILR(PAT) SC 1

दिया कि सूची 2 की प्रविष्टि 54 राज्य विधानमण्डल को ऐसी रकम के संग्रहण के लिए विधान बनाने के लिए प्राधिकृत करती है जो कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा राज्य की ओर से कर के रूप में अनुचित रूप से संगृहीत की गई हो और उस रकम को उस व्यक्ति को प्रतिदत्त करने के लिए प्राधिकृत करती है जिससे वह रकम अनुचित रूप से संगृहीत की गई हो।

10. यह तर्क दो धारणाओं पर आधृत है—(1) बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट के अधीन माल का क्रेता राज्य को विक्रय कर संदत्त करने का दायी होता है और रजिस्ट्रीकृत व्यापारी राज्य के अभिकर्ता के रूप में क्रेता से कर संगृहीत करता है और (2) धारा 20-क के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा वसूल की गई रकम केवल उसी व्यक्ति को प्रतिदत्त किए जाने के लिए आशयित है जिससे वह रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा संगृहीत की गई है तथा राज्य रजिस्ट्रीकृत व्यापारी की बाध्यता को प्रवृत्त कराने के लिए एक अभिकरण मात्र है।

11. प्रथम धारणा स्पष्ट रूप से बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 की युक्ति के प्रतिकूल है। धारा 3 द्वारा कर का प्रभार प्रत्येक उस व्यापारी पर होता है जिसका ठीक पहले के बारह मासों से अनधिक की अवधि के दौरान कुल आवर्त विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो जाता है। 'कुल आवर्त' पद को धारा 2(क) में "किसी व्यापारी द्वारा किसी निश्चित अवधि के दौरान माल के विक्रय की बाबत (...) विक्रय-मूल्यों की प्राप्त की गई या प्राप्य रकमों के योग" के रूप में परिभाषित किया गया है तथा धारा 2(थ) में विक्रय-मूल्य पद को "माल के विक्रय की बाबत किसी व्यापारी को मूल्यवान् प्रतिफल के रूप में संदेय रकम के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा कर को राज्य के भीतर किए गए विक्रयों पर व्यापारी द्वारा संदेय बनाया गया है और जब व्यापारी माल का विक्रय करता है तब उसके द्वारा माल के विक्रय के लिए प्राप्त कीमत कुल आवर्त का एक संघटक बन जाती है और व्यापारी उस आवर्त पर कर देने का जिम्मेदार होता है। अधिनियम क्रेता पर न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कर संदत्त करने का दायित्व अधिरोपित करता है। यह सत्य है कि धारा 7 के अधीन किसी व्यापारी का कराधेय आवर्त कुल आवर्त के उस भाग के रूप में अवधारित किया जाता है जो कि माल के विक्रय की बाबत प्राप्त या प्राप्य विक्रय-मूल्य सहित विभिन्न मदों की जिनमें 'इस प्रकार संगृहीत' वास्तविक विक्रय कर की रकम भी सम्मिलित है, कटौती करने के पश्चात् शेष बचता है। यह निर्विवाद है कि व्यापारी क्रेता से माल के मूल्य के अतिरिक्त कोई ऐसी रकम भी वसूल कर सकता है जो कि उसे उस मूल्य पर कर के रूप में संदत्त करनी होगी। उस दशा में क्रेता द्वारा संदेय कीमत माल का मूल्य तथा व्यापारी द्वारा कर के

1970(1) eILR(PAT) SC 1

संदाय को पूरा करने के लिए संदत्त रकम होगी। अधिनियम विक्रय कर का दायित्व क्रेता को संक्रान्त करने में व्यापारी को समर्थ बनाता है और यदि बीजक द्वारा अथवा अन्यथा व्यापारी उसके द्वारा बेचे गए माल की बाबत माल का मूल्य तथा वह कर जो कि उसे मूल्य पर देना होगा वसूल करता है तो विक्रय कर की संगणना माल के मूल्य पर की जाएगी न कि क्रेता द्वारा संदत्त कुल रकम पर। तथापि, क्रेता द्वारा संदेय रकम उसके द्वारा माल के क्रय के लिए संदत्त प्रतिफल होता है। व्यापारी विक्रय पर राज्य को उसके द्वारा संदेय विक्रय-कर और माल के मूल्य को प्रभाजित कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह मूल्य पर ही विक्रय-कर देने का जिम्मेदार होता है न कि कर की उस रकम पर जो कि उसने संगृहीत की है और जो राज्य को विक्रय कर के रूप में संदेय है। यदि वह मूल्य और कर को प्रभाजित नहीं करता है तो वह उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल रकम पर समुचित दर पर परिकलित विक्रय-कर संदत्त करने का जिम्मेदार होता है। दोनों में से किसी भी दशा में अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायित्व व्यापारी पर होता है। वह राज्य के लिए और राज्य की ओर से कोई कर संगृहीत नहीं करता है। व्यापारी क्रेता से उसके द्वारा संदेय कर को मूल्य के भाग के रूप में वसूल कर सकता है किन्तु उस दशा में क्रेता विक्रय पर राज्य को कर संदत्त करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है।

12. एक ऐसा उपबन्ध जो कि किसी व्यापारी को कर के संदाय का दायित्व संक्रान्त करने में समर्थ बनाए, विक्रय कर से सम्बन्धित विधान का आनुषंगिक उपबन्ध होता है। किन्तु हम यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ हैं कि एक ऐसा उपबन्ध जिसके अधीन किसी व्यापारी से उस रकम को राज्य को संदत्त करने की अपेक्षा की जाए जो कि उसके द्वारा इस अभिव्यक्त या विवक्षित व्यपदेशन के आधार पर संगृहीत की गई हो कि उसके बराबर रकम उसके द्वारा बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट के अधीन संदेय है, सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अर्थ में "माल के विक्रय और क्रय पर कर" उद्‌गृहीत करने की शक्ति का आनुषंगिक उपबन्ध है। सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत कर अधिरोपित करने, कर संगृहीत करने का तन्त्र विहित करने, उन अधिकारियों को पदाभिहित करने जिनके द्वारा दायित्व अधिरोपित किया जा सके और उन अधिकारियों का प्राधिकार, बाध्यता तथा उनकी क्षतिपूर्ति की सीमा विहित करने की शक्ति आती है। राज्य विधानमण्डल सूची 2 की प्रविष्टि 54 के अधीन माल के विक्रय और क्रय पर कर से आवश्यक रूप से आनुषंगिक विषयों की बाबत विधि अधिनियमित करने के लिए सक्षम हो सकता है। किन्तु किसी व्यापारी को, जिसने कि जानबूझ कर अथवा भूल से किसी क्रेता से इस व्यपदेशन के आधार पर

1970(1) eILR(PAT) SC 1

कोई रकम वसूल कर ली हो कि वह कर के संदाय को पूरा करने के लिए उस रकम को वसूल करने का हकदार है, वह रकम राज्य को देने के लिए बाध्य करने वाला उपबन्ध हमारे विचार में आवश्यक रूप से सूची 2 की प्रविष्टि 54 का आनुषंगिक नहीं माना जा सकता। तथ्यतः यह उपबन्ध कर के रूप में ऐसी रकम उद्‌गृहीत करने का उपबन्ध है जिसे उद्‌गृहीत करने के लिए राज्य अक्षम है। उस रकम को जो कि व्यापारी ने संगृहीत कर ली है और जिसे संगृहीत करने का वह हकदार नहीं था, राज्य के पास निक्षिप्त करने के लिए दावे को मांग का रूप देने वाली युक्ति को संविधान के उपबन्धों को निष्फल करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता।

13. विद्वान् महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि धारा 20-क की उपधारा (8) उस व्यक्ति को जिससे कि व्यापारी ने रकम संगृहीत की है और उपधारा (3) अथवा (4) के अधीन आदेश के अनुसरण में निक्षिप्त करा दी है अथवा उपधारा (5) के अधीन निक्षिप्त कराई गई समझी गई है, विहित प्राधिकारी को उस रकम के क्रेता को प्रतिदाय के लिए आवेदन करने के लिए प्राधिकृत करती है और यदि प्राधिकारी का दावे के बारे में समाधान हो जाए तो वह प्रतिदाय करने के लिए आबद्ध है। व्यापारी द्वारा संगृहीत रकम की मांग करने की शक्ति बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1959 और साथ ही पूर्व विद्यमान अधिनियमों द्वारा शासित होने वाले संव्यवहारों को लागू होती है। कोई ऐसी परिसीमा अवधि विहित नहीं की गई है जिसके भीतर व्यापारी द्वारा संगृहीत रकमों के संदाय की मांग की जा सके। किन्तु प्रतिदाय के लिए आवेदन उस अवधि के अवसान के पूर्व किया जाना है जिसके भीतर क्रेता व्यापारी से रकम का दावा सिविल वाद द्वारा कर सकता था। अधिनियम और बनाए गए विभिन्न उपबन्धों की युक्ति को दृष्टि में रखते हुए यह प्रत्याशा करना निरर्थक होगा कि कोई क्रेता व्यापारी द्वारा संगृहीत रकम जो कि सरकार के पास निक्षिप्त कराई गई हो अथवा कराई गई समझी गई हो, संदत्त करने के राज्य के दायित्व को प्रवृत्त कराने में सामान्य रूप से समर्थ होगा। परिसीमा अवधि उस तारीख से चलनी प्रारम्भ नहीं होती जिसको धन सरकारी खजाने में निक्षिप्त कराया गया हो अथवा निक्षिप्त कराया गया समझा गया हो किन्तु उस तारीख से प्रारम्भ होती है जिस पर क्रेता व्यापारी के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद फाइल करने का हकदार हो। विधि के अधीन राज्य क्रेता के लिए न्यासी के रूप में रकम धारित करने के लिए बाध्य नहीं है। वसूल की जाने वाली अथवा विनियोजित की जाने वाली रकम राज्य की संचित निधि का भाग बनी रहती है और राज्य की सम्पत्ति बन जाती है।

1970(1) eILR(PAT) SC 1

14. हमारे विचार में धारा 20-क की उपधारा (8) मांग अथवा विनियोजन की जो कि धारा 20-क की उपधारा (3), (4) और (5) के अधीन किया जा सकता है वास्तविक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करती। उपधारा(3), (4) और (5) में अन्तर्निहित आशय राज्य को व्यापारी से वह कर संगृहीत करने में समर्थ बनाना है जो कि राज्य, उन बहुत कम दशाओं में के सिवाय जिनमें कि क्रेता राज्य को आवेदन कर सकता है और उसका यह समाधान करा सकता है कि उसका एक दावा है, और वह दावा उचित है तथा वह दावा परिसीमा के भीतर है, उद्गृहीत करने और स्वयं के लिए विनियोजित करने का हकदार नहीं है। उपधारा (8) के अन्तःस्थापन के होते हुए भी, हमारे विचार में, राज्य द्वारा प्राप्त अथवा राज्य द्वारा विनियोजित रकम, संगृहीत किए गए उस कर की प्रकृति की बनी रहती है जिसे संगृहीत करने का राज्य हकदार नहीं होता है।

15. विद्वान् महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि यह धारणा करने पर भी कि धारा 20-क की उपधारा (8) का प्रथम परन्तुक जो कि परिसीमा अवधि विहित करता है, दावे की प्रकृति का द्योतक है, केवल उसी परन्तुक को ही अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है और शेष उपबन्धों को विधिमान्य घोषित किया जा सकता है। किन्तु उपधारा (8) का प्रथम परन्तुक वसूली को कर का रूप नहीं देता, उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्ध वसूली को उस कर के उद्ग्रहण का रूप देते हैं जिसे राज्य संगृहीत करने का हकदार नहीं है और उपधारा (8) दावे के वास्तविक रूप को बदलने का प्रयास मात्र है। अतः हम विद्वान् महाधिवक्ता की दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

16. तब यह दलील दी गई कि किसी व्यापारी द्वारा संगृहीत ऐसी रकम की वसूली की बाबत जो कि विधि के अनुसार वह संगृहीत करने का हकदार नहीं है, विधान बनाने की शक्ति सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 के अन्तर्गत आती है। ये प्रविष्टियां संविधान की समवर्ती सूची में हैं और इनमें इस प्रकार उपबन्ध किया गया है—

"6. कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण; विलेखों और दस्तावेजों का पंजीयन।

7. संविदा, जिनके अन्तर्गत भागीदारी, अभिकरण, परिवहन संविदा और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं भी हैं किन्तु कृषि भूमि सम्बन्धी संविदाएं नहीं हैं।

1970(1) eILR(PAT) SC 1

13. सिविल प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्भ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमा और मध्यस्थ निर्णय।"

हम इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रविष्टि 6, 7 और 13 की बाबत विधान बनाने की शक्ति राज्य विधानमण्डल को व्यापारी से उस रकम की वसूली की बाबत जो कि वह विधि के अनुसार संगृहीत करने का हकदार नहीं था किन्तु जो उसने संगृहीत कर ली है विधान बनाने के लिए प्राधिकृत किस प्रकार करेगी। धारा 20-क की उपधारा (3), (4) और (5) की बाबत विधान बनाने की शक्ति अभिव्यक्त रूप से सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 के अन्तर्गत नहीं आती है और न ही यह कहा जा सकता है कि विधान बनाने की शक्ति आवश्यक रूप से सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 में अन्तर्विष्ट शक्ति की आनुषंगिक है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, **अब्दुल कादिर के मामले**[1] में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य को वह रकम वसूल करने के लिए विधान बनाने की शक्ति नहीं है जो कि करदाता द्वारा उस रकम के संदाय को पूरा करने के लिए संगृहीत की गई हो जो कि विधि के अधीन संदत्त करने के लिए वह आबद्ध नहीं है। यद्यपि विधान बानने की राज्य की क्षमता के सूची 3 की प्रविष्टि 6, 7 और 13 के अधीन समर्थन की ईप्सा नहीं की गई थी तो भी न्यायालय के विनिश्चय से स्पष्ट रूप से यह विवक्षित है कि राज्य को तृतीय सूची में किसी भी प्रविष्टि के अधीन ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

17. उस मत के अनुसार जो कि हमने अभिव्यक्त किया है, हम द्वितीय प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हम यह सम्प्रेक्षित कर दें कि धारा 20-क की उपधारा (1) और (2) की विधिमान्यता पर आक्षेप नहीं किया गया है।

18. हमारा मत यह है कि अपील मंजूर की जानी चाहिए और निर्धारिती का पिटीशन मंजूर किया जाना चाहिए। यह घोषित किया जाता है कि धारा 20-क की उपधारा (3), (4) और (5) राज्य विधानमण्डल के अधिकारातीत हैं। उसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप उस धारा की उपधारा (6) और (8) भी अविधिमान्य समझी जाएंगी। निर्धारिती इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपने खर्चों का हकदार होगा। 1966 की सिविल अपील संख्या 2004 और 2005 में एक सुनवाई की फीस मंजूर की जाती है।

अपील मंजूर की गई।

ज०

---

[1] (1964) 6 एस० सी० आर० 867.